

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 303 / NOC-139/बस्ती/2022

दिनांक : 27/07/2022

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
जनपद-बस्ती।

विषय:-जनपद-बस्ती, तहसील-हरैया में ग्राम-बड़हर खुर्द के खसरा सं०-402 पर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-1623(1)/आयुध लिपिक दिनांक 26.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रस्तावित मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प, एन०एच०-27(पुराना एन०एच०-28), खसरा सं०-402, ग्राम-बड़हर खुर्द, परगना-अमोढ़ा, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के आंशिक भाग पर प्रस्तावित(रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प) क्षमता 1 x 15 KL MS एवं 1 x 20 KL HSD पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में इस कार्यालय से आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान में नये रिटेल आउट पेट्रोल पम्प की स्थापना सम्बन्धी केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा नवीनतम मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) निर्धारित की गयी है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोलपम्प द्वारा प्रेषित अभिलेखों, ले-आउट प्लान के परीक्षणोपरान्त प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते समय निम्नलिखित शर्तों को अधिरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है:-

1. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 1x15 KL MS तथा 1x20 KL HSD के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थल किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, पंजीकृत अस्पताल (10 बेड्स या अधिक) एवं प्राधिकृत आवासीय क्षेत्र से निकटतम त्रिज्यक दूरी 50 मी० या अधिक हो।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थल से दूरी 50 मी० मानक यदि पूर्ण होने में असमर्थता हो तो रिटेल आउटलेट पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय हेतु Petroleum and Explosives safety Organisation (PESO)की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। किसी भी परिस्थिति में दूरी का मानक 30मी० से कम न हो।
4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल के ऊपर से हाईटेन्शन लाइन न पास किया जाये।
5. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पम्प की Oil Marketing Companies (OMCs)का उत्तरदायित्व है कि भू-गर्भ जल स्तर ऊपर (4मी० ऊँचा या कम) होने वाले स्थलों में स्थापित पेट्रोल पम्प पर भू-गर्भ एवं मृदा Contamination को कम करने हेतु State/Central ground water board के सुझावों को अपनाकर पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
6. रिटेल आउटलेट पर घटित सभी Major Leakage/Spillage of Petrol Pump, Diesel, Lube oil (1 बैरल से अधिक) की सूचना राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, PESO एवं प्रशासन को देना अनिवार्य है।
7. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की Oil Marketing Companies (OMCs)से राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार हेतु खर्च वसूलने का अधिकार होगा।
8. रिटेल आउटलेट पम्प पर अण्डरग्राउण्ड टैंक से Leakage detection System की व्यवस्था PESO के प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड गोरखपुर टैरीटरी देवरिया (उ०प्र०) के अनुरूप सुनिश्चित की जायेगी।

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बड़ेबन, बस्ती-272001

Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.in, ropcbasti@gmail.com

9. मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक से अनुमति/अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्थापना से पूर्व प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
10. रिटेल आउटलेट पम्प पर अण्डरग्राउण्ड टैंक से निकाले गए पेट्रोलियम स्लज (Sludge) का निस्तारण परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अनुरूप किया जायेगा।
11. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर Vapour recovery system की व्यवस्था केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पेट्रोल पम्प हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाये।
12. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की Oil Marketing Companies (OMCs) द्वारा प्रत्येक दो वर्षों में निकटतम स्रोतों की भू-गर्भ जल एवं मृदा परीक्षण रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रेषित की जाये।
13. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये कि आस-पास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
14. पेट्रोलपम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
15. पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मददेनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निशमन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार स्थापित किया जाये।
16. घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिस्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये।
17. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।
18. पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 03 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
19. पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्डस वेस्ट(मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग एण्ड ट्रांसवाउण्ड्री मूवमेन्ट्स) नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डस कैमिकल्स नियम, 1989 पब्लिक लाइविलिटी इन्श्योरेंस एक्ट 1991 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
20. प्रस्तावित स्थल के पास अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण सम्बन्धी संस्थान/प्रयोजन को अनुमति न दी जाये।
21. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक रूप से स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये।
22. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उत्तम बिन्दु पर विन्ड इण्डीकेटर लगाया जाये।
23. विद्युतवाधा की स्थिति में केप्टिव पॉवर जनरेशन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले जनरेटर सेट में केनोपी एवं ईंधन के रूप में गैस का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।
24. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से अकृषिक/व्यवसायिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को 03 माह के अन्दर प्रेषित किया जाये।
25. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम गाइड लाइन के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
26. केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों का भी अनुपालन पेट्रोल पम्प द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
27. पेट्रोल पम्प वाहनों की पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि राजमार्ग का सामान्य यातायात बाधित न हो।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

Rajesh
Rajesh

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
गोरखपुर टैरीटरी

पो-बैतालपुर, देवरिया (उ०प्र०)

27/10/22
भारतीय
(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, भारत भवन, 4 एवं 6, करीमभाय रोड, बलार्ड स्टेट, मुम्बई-400001 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, बैतालपुर डिपो, देवरिया पिन कोड-274201 को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प, ग्राम-बड़हर खुर्द, परगना-अमोढ़ा, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के खसरा सं०-402 पर स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निरीक्षण आख्या।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के पत्र सं०-1623(1)/आयुध लिपिक दिनांक 26.11.2021 के अनुपालन में उक्त प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 27.07.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पेट्रोल पम्प प्रतिनिधि के रूप में श्री लवकुश शर्मा उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

1. उक्त न्यू रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प-भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०), ग्राम-बड़हर खुर्द, एन०एच०-27 (पुराना एन०एच०-28), परगना-अमोढ़ा, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के खसरा सं०-402 पर के खसरा सं०-1394 के कुल भू-क्षेत्रफल-1575 वर्गमी० (35 मीटर चौड़ाई × 45 मीटर लम्बाई के आकार में) पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित स्थल के सटे पूरब दिशा में सटे कृषि योग्य भूमि स्थित है। पश्चिम दिशा में सटे कृषि योग्य भूमि तत्पश्चात् लगभग 1.0 किमी० की दूरी पर डुहवा बाजार स्थित है। प्रस्तावित स्थल के सटे उत्तर दिशा में सटे कृषि योग्य भूमि तत्पश्चात् लगभग 600 मी० की दूरी पर ग्राम-डुहवा मिश्र स्थित है। प्रस्तावित स्थल के दक्षिण दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (पुराना एन०एच०-28) तत्पश्चात् लगभग 500 मी० की दूरी पर ग्राम-बड़हर खुर्द स्थित है।
3. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प में जल का प्रयोग केवल घरेलू प्रयोजनार्थ किया जायेगा। घरेलू प्रयोग से जनित होने वाले बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक व सोकपिट की व्यवस्था स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
4. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प द्वारा 25 के०वी०/६० क्षमता का एक अदद कैनोपी युक्त डी०जी० सेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डी०जी० सेट के एग्जास्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानको के अनुरूप रखा जाना प्रस्तावित है।
5. कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के पत्र सं०-1623(1)/आयुध लिपिक दिनांक 26.11.2021 के साथ संलग्नक के रूप में मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, बैतालपुर डिपो, देवरिया द्वारा निर्गत लेटर ऑफ इन्टेन्ट, प्रस्तावित स्थल की खतौनी, स्थल का किरायानामा एवं ले-आउट प्लान आदि प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रस्तावित स्थल ग्राम-बड़हर खुर्द, एन०एच०-27 (पुराना एन०एच०-28), परगना-अमोढ़ा, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के खसरा सं०-402 के कुल भू-क्षेत्रफल-1575 वर्गमी० (35 मीटर चौड़ाई × 45 मीटर लम्बाई के आकार में) में मेसर्स न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते समय निम्नलिखित शर्तों को अधिरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है-

1. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 1x15 KL MS तथा 1x20 KL HSD के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थल किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, पंजीकृत अस्पताल (10 बेड्स या अधिक) एवं प्राधिकृत आवासीय क्षेत्र से निकटतम त्रिज्यक दूरी 50 मी० या अधिक हो।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थल से दूरी 50 मी० मानक यदि पूर्ण होने में असमर्थता हो तो रिटेल आउटलेट पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय हेतु Petroleum and Explosives safety Organisation (PESO) की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। किसी भी परिस्थिति में दूरी का मानक 30 मी० से कम न हो।
4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल के ऊपर से हाईटेन्शन लाइन न पास किया जाये।
5. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पम्प की Oil Marketing Companies (OMCs) का उत्तरदायित्व है कि भू-गर्भ जल स्तर ऊपर (4 मी० ऊँचा या कम) होने वाले स्थलों में स्थापित पेट्रोल पम्प पर ~~सुरक्षा~~ एवं मृदा Contamination को कम करने हेतु State/Central ground water board के सुझावों को अपनाकर पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
6. रिटेल आउटलेट पर घटित सभी Major Leakage/Spillage of Petrol Pump, Diesel, Lube oil (1 बैरल से

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
गोरखपुर टैरीटरी
मो०-बैतालपुर देवरिया (उ०प्र०)
Scanned with CamScanner

अधिक) की सूचना राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, PESO एवं प्रशासन को देना अनिवार्य है।

7. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की Oil Marketing Companies (OMCs) से राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार हेतु खर्च वसूलने का अधिकार होगा।
8. रिटेल आउटलेट पम्प पर अण्डरग्राउण्ड टैंक से Leakage detection System की व्यवस्था PESO के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जायेगी।
9. मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक से अनुमति/अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्थापना से पूर्व प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
10. रिटेल आउटलेट पम्प पर अण्डरग्राउण्ड टैंक से निकाले गए पेट्रोलियम स्लज (Sludge) का निस्तारण परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अनुरूप किया जायेगा।
11. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर Vapour recovery system की व्यवस्था केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पेट्रोल पम्प हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाये।
12. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की Oil Marketing Companies (OMCs) द्वारा प्रत्येक दो वर्षों में निकटतम स्रोतों की भू-गर्भ जल एवं मृदा परीक्षण रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रेषित की जाये।
13. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये कि आस-पास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
14. पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
15. पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निशमन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार स्थापित किया जाये।
16. घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिस्साव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये।
17. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।
18. पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 03 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
19. पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्डस वेस्ट(मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग एण्ड ट्रांसवाउण्ड्री मूवमेन्ट्स) नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डस कैमिकल्स नियम, 1989 पब्लिक लाइविलिटी इन्वोयेरेन्स एक्ट 1991 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
20. प्रस्तावित स्थल के पास अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण सम्बन्धी संस्थान/प्रयोजन को अनुमति न दी जाये।
21. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक रूप से स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये।
22. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उत्तम बिन्दु पर विन्ड इण्डीकेटर लगाया जाये।
23. विद्युतबाघा की स्थिति में केप्टिव पॉवर जनरेशन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले जनरेटर सेट में केनोपी एवं ईंधन के रूप में गैस का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।
24. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से अकृषिक/व्यवसायिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को 03 माह के अन्दर प्रेषित किया जाये।
25. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम गाइड लाइन के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
26. केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों का भी अनुपालन पेट्रोल पम्प द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
27. पेट्रोल पम्प वाहनों की पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि राजमार्ग का सामान्य यातायात बाधित न हो।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
गोरखपुर टैरीटरी
पो-बैतालपुर, देवरिया (उ०प्र०)